

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर 2011—आश्विन 2, शक 1933

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ-9-1-2007-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा-3 की उपधारा (2) (क) सहपठित धारा-4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया जाता है:—

1. सुश्री ज्योति येवतीकर
 2. श्रीमती शशि सिन्हो
 3. श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय
 4. श्रीमती वंदना मण्डावी
2. उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 13 सितम्बर, 2014 तक की कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.